भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †5039
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः दिल्ली में किसानों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन न होना

5039. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा नहीं मिल रहा है तथा उन्हें केन्द्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वित न होने से दिल्ली के कितने किसान प्रभावित हुए हैं तथा सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) सरकार द्वारा दिल्ली में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलना तथा फसलों की बिक्री दिल्ली के बाहर न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) दिल्ली में केन्द्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है तथा इन योजनाओं का कार्यान्वयन न करने पर दिल्ली सरकार पर क्या शास्ति लगाई जाएगी?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख) कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार देश में लागू कई केन्द्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सुविधा प्रदान करती है। भारत सरकार की योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू की जा रही हैं। दिल्ली में किसानों, जिन्हें किसान का दर्जा नहीं प्राप्त हो रहा है और जो केंद्र सरकार की स्कीमों के गैर-कार्यान्वयन से प्रभावित हैं, की संख्या के बारे में जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है ।

(ग) एवं (घ):सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर विचार करने के बाद दिल्ली सहित पूरे देश के लिए 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। सरकार की मूल्य नीति किसानों को उनकी उपज एमएसपी पर खरीदने की पेशकश करके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। तथापि, किसान अपनी उपज को सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर या खुले बाजार में जो भी उनके लिए फायदेमंद हो, पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के घटक, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत फसल कटाई के दौरान जब कभी भी कीमतें एमएसपी से कम हो जाती है तब सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों के अनुरूप पूर्व पंजीकृत किसानों से सीधे अधिसूचित तिलहन, दलहन और खोपरा की खरीद की जाती है। यह योजना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, जो खरीदी गई वस्तुओं को मंडी कर के शुल्क से छूट देने और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बोरियों सहित रसद व्यवस्था में केंद्रीय नोडल एजेंसियों की सहायता करने, राज्य एजेंसियों के लिए कार्यशील पूंजी, पीएसएस संचालन के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण आदि सहित के लिए सहमत होती है। तथापि, पीएसएस के तहत दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बुवाई से पहले से फसलोपरांत तक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान से किसानों को बचाना और फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है।

दिल्ली सरकार, दिल्ली के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार करने की प्रक्रिया में है।

******